

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना /स्कीम का स्थान : भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु केतमा से हाडमोर
- (i) राज्य/ संघ शासित क्षेत्र : छत्तीसगढ़
- (ii) जिला : कोरबा
- (iii) वन प्रभाग : कटघोरा वनमंडल
- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन : 0.813 हेक्टर भूमि का क्षेत्र (हेक्टर)
- (v) वन कानूनी स्थिति : आरक्षित वन निरंक , संरक्षित वन 0.767 हेक्टर, ऑरेज एरिया 0.029 हेक्टर एवं राजस्व वनभूमि 0.017 कुल 0.813 हेक्टर
- (vi) हरियाली का घनत्व :
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।
- भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाना है वृक्ष विदोहन प्रस्तावित नहीं है।
- (viii) भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं हैं।
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।
- वनो से लगा हुआ एवं वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)
- नहीं हैं।
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।
- नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
- नहीं
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।
- प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूं।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।
— नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।
— आवश्यकता नहीं है।
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
— निरंक
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
— आवश्यक नहीं है।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।
— आवश्यक नहीं है।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।
— निरंक
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)
— आवश्यक नहीं है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)
— आवश्यक नहीं है।
12. विभाग/जिला प्रोफाईल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
— 7145.440 वर्ग किलो मीटर।
- (ii) जिले का वन क्षेत्र
— 4187.375 वर्ग किलो मीटर।
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।
— 30 प्रकरण 3391.699 हेक्टर
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।
..... निरंक हेक्टर
(ख) वनेत्तर भूमि पर।
निरंक

- (v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (वनमंडल कटघोरा)
 (क) वन भूमि।
 1256.186 हेक्टर
 (ख) वनेत्तर भूमि पर। (वनमंडल कटघोरा)
 - 20 हैं. गैर वनभूमि (कोरबा वनमंडल)

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।
 रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा 4 जी सेवा देख के सभी जिलो, तहसीलो एवं गांव को दूरसंचार की आधुनिकता सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में उपलब्ध सभी आधुनिक सुविधाए (एस.टी.डी., इंटरनेट, फैंक्स ईमेल आदि) का भरोसेमंद मीडिया " ऑप्टिकल फायबर केबल " है ओ. एफ.सी. बिछायी गई है वह छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओ का लाभ ले रही है। इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है केतमा से हाडमोर के बीच ओ.एफ.सी. केबल बिछाना ताकि इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी सम्बन्धित क्षेत्र देश के हर हिस्सा से जोड़े जायेगे तथा देश के किसी भी हिस्से से सम्बन्धित क्षेत्र में संचार सम्भव हो जायेगा। वस्तुतः सम्पूर्ण भारत इससे लांभावित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेत अनुंशसा की जाती है।

1

वन मण्डलाधिकारी
 कटघोरा, वनमंडल, कोरबा
 कटघोरा, वनमंडल
 जिला- कोरबा छत्तीसगढ़

दिनांक :- 21-11-16
 स्थान :- Ketma